

2.24  
प्रपत्र-28

परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत बैजनाथ-बेरीनाग मोटर मार्ग के किमी 011 (रवाईखाल) से बुढ़गाड़-थकलाड़-विलेख मोटर मार्ग निर्माण कार्य।

आम सभा का अनापत्ति प्रमाण पत्र

एस०सी०एस०पी० योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में बैजनाथ-बेरीनाग मोटर मार्ग के किमी० 11 (रवाईखाल) से बुढ़गाड़-थकलाड़-विलेख मोटर मार्ग का निर्माण वास्तविक लम्बाई 6.00 कि. मी. के निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग, बागेश्वर द्वारा निर्धारित संरेखण के सम्बन्ध में आम बैठक की गयी। बैठक में उपस्थित जनप्रतिनिधि, सरपंच एवं जनता द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया गया कि उपरोक्त मोटर मार्ग निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा जो संरेखण तय किया गया है उसके अनुसार मोटर मार्ग निर्माण करने एवं मार्ग के निर्माण में आने वाली वन भूमि एवं नाप भूमि को लो०नि०वि० को देने में समर्त ग्रामवासी सहमत हैं। इसके अलावा और कोई बिकल्प भी नहीं है। अतः इसी संरेखण के अनुसार मोटर मार्ग का निर्माण शीघ्र कराने का अनुरोध किया जाय।

बैठक में यह भी तय किया गया है आवेदित वन एवं कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व पूर्व कृषि समुदाय (Primitive Agricultural Tribal Groups) निवास नहीं करते हैं और परियोजना के निर्माण से इन वर्गों के हित प्रभावित नहीं हो रहे हैं।

स्थान:- ९५१५

दिनांक:- १८-६-२०१७

ग्राम प्रधान / सरपंच  
ह०

ग्राम प्रधान / सरपंच  
की मुहर

नोट- परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले गांवों की प्रत्येक ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा प्रस्ताव मय अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ संलग्न किया जाय। उक्त प्रमाण पत्र प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जायेगा।

2.24  
प्रपत्र-28

परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत बैजनाथ-बेरीनाग मोटर मार्ग के किमी 011 (रवाईखाल) से बुढ़गाड़-थकलाड़-विलेख मोटर मार्ग निर्माण कार्य।

आम सभा का अनापत्ति प्रमाण पत्र

एस०सी०एस०पी० योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में बैजनाथ-बेरीनाग मोटर मार्ग के किमी 011 (रवाईखाल) से बुढ़गाड़-थकलाड़-विलेख मोटर मार्ग का निर्माण वास्तविक लम्बाई 6.00 कि.मी. के निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग, बागेश्वर द्वारा निर्धारित संरेखण के सम्बन्ध में आम बैठक की गयी। बैठक में उपस्थित जनप्रतिनिधि, सरपंच एवं जनता द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया गया कि उपरोक्त मोटर मार्ग निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा जो संरेखण तय किया गया है उसके अनुसार मोटर मार्ग निर्माण करने एवं मार्ग के निर्माण में आने वाली वन भूमि एवं नाप भूमि को लो०नि०वि० को देने में समस्त ग्रामवासी सहमत हैं। इसके अलावा और कोई बिकल्प भी नहीं है। अतः इसी संरेखण के अनुसार मोटर मार्ग का निर्माण शीघ्र कराने का अनुरोध किया जाय।

बैठक में यह भी तय किया गया है आवेदित वन एवं कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व पूर्व कृषि समुदाय (Primitive Agricultural Tribal Groups) निवास नहीं करते हैं और परियोजना के निर्माण से इन वर्गों के हित प्रभावित नहीं हो रहे हैं।

स्थान:- मृडौली

दिनांक:- १८/८/१७

ह०

ग्राम प्रधान / सरपंच  
की मुहर प्रधान  
ग्राम परायत फटगली  
वि०ए०/जिला- बागेश्वर

नोट- परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले गांवों की प्रत्येक ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा प्रस्ताव मय अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ संलग्न किया जाय। उक्त प्रमाण पत्र प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जायेगा।

2.24  
प्रपत्र-28

परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत बैजनाथ-बेरीनाग मोटर मार्ग के किमी 011 (रवाईखाल) से बुढ़गाड़-थकलाड़-विलेख मोटर मार्ग निर्माण कार्य।

आम सभा का अनापत्ति प्रमाण पत्र

एस०सी०एस०पी० योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में बैजनाथ-बेरीनाग मोटर मार्ग के किमी 011 (रवाईखाल) से बुढ़गाड़-थकलाड़-विलेख मोटर मार्ग का निर्माण वास्तविक लम्बाई 6.00 कि.मी. के निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग, बागेश्वर द्वारा निर्धारित संरेखण के सम्बन्ध में आम बैठक की गयी। बैठक में उपस्थित जनप्रतिनिधि, सरपंच एवं जनता द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया गया कि उपरोक्त मोटर मार्ग निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा जो संरेखण तय किया गया है उसके अनुसार मोटर मार्ग निर्माण करने एवं मार्ग के निर्माण में आने वाली वन भूमि एवं नाप भूमि को लो०नि�०वि० को देने में समस्त ग्रामवासी सहमत हैं। इसके अलावा और कोई विकल्प भी नहीं है। अतः इसी संरेखण के अनुसार मोटर मार्ग का निर्माण शीघ्र कराने का अनुरोध किया जाय।

बैठक में यह भी तय किया गया है आवेदित वन एवं कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व पूर्व कृषि समुदाय (Primitive Agricultural Tribal Groups) निवास नहीं करते हैं और परियोजना के निर्माण से इन वर्गों के हित प्रभावित नहीं हो रहे हैं।

स्थान:- विलेख

दिनांक:- १४।६।२०।१७

सरपंच जोधपुर

हेन पचायत विलेख

ह०म थकलाड़ जि. बागेश्वर

ग्राम प्रधान / सरपंच  
की मुहर

नोट— परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले गांवों की प्रत्येक ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा प्रस्ताव मय अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ संलग्न किया जाय। उक्त प्रमाण पत्र प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जायेगा।

2.24.1

### वन पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र (प्रस्ताव सं0.....)

जनपद बागेश्वर में बैजनाथ-बेरीनाग मोटर मार्ग के किमी 0 11 (रवाईखाल) से बुढ़गाड़-थकलाड़-विलेख मोटर मार्ग निर्माण कार्य लम्बाई 6.00 कि.मी. के निर्माण के सम्बन्ध में अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, बागेश्वर द्वारा सूचित किया गया है कि मार्ग के संरेखण में वन पंचायत पुड़गाड़ की भूमि आ रही है। वन भूमि प्रस्ताव की पूर्ति हेतु वन पंचायत से अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में वन पंचायत ... शुड़गाड़ की दिनांक 18-6-2017 को आम बैठक की गयी। बैठक में उपस्थित जनप्रतिनिधि, सरपंच एवं जनता द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया गया कि उपरोक्त मोटर मार्ग निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा जो संरेखण तय किया गया है उसके अनुसार मोटर मार्ग निर्माण करने एवं मार्ग के निर्माण में आने वाली वन पंचायत भूमि को लो0नि�0वि0 को देने में समर्त ग्रामवासी सहमत हैं। इसके अलावा और कोई बिकल्प भी नहीं है। अतः इसी संरेखण के अनुसार मोटर मार्ग का निर्माण शीघ्र कराने का अनुरोध किया जाय।

प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया गया और इसकी एक प्रति लोक निर्माण विभाग को भेजने हेतु सरपंच महोदय को अधिकृत किया गया है।

स्थान:- ग्राम पुड़गाड़

दिनांक:- 18-6-2017

प्रतिलिपि अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, बागेश्वर को उपरोक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति शीघ्र कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है।

ग्राम पुड़गाड़  
उपरोक्त

वन पंचायत द्वारा  
ह0 सरपंच एच. एच. शर्मा, धनपद चामड़  
की मुहर

वन पंचायत सदस्यों के हस्ताक्षर -

- 1 अगवत रमेश - लालगढ़ी
- 2 शुक्रा रमेश
- 3 शुक्रा रमेश
- 4 शुभल रमेश
- 5 शुभ रमेश
- 6 शुभ रमेश
- 7 शुभ, फौरी नामांत्रिकी
- 8 रम्या, रमेश - रम्या वरदार
- 9 धर्म, रमेश - धर्मा देवी

ह0 सरपंच  
की मुहर

ग्राम पुड़गाड़  
उपरोक्त  
वन पंचायत द्वारा  
एच. एच. शर्मा, धनपद चामड़

2.24.1

### वन पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र (प्रस्ताव सं0.....)

जनपद बागेश्वर में बैजनाथ-बेरीनाग मोटर मार्ग के किमी 11 (रवाईखाल) से बुढ़गाड़-थकलाड़-विलेख मोटर मार्ग निर्माण कार्य लम्बाई 6.00 कि.मी. के निर्माण के सम्बन्ध में अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग, बागेश्वर द्वारा सूचित किया गया है कि मार्ग के संरेखण में वन पंचायत विलेख की भूमि आ रही है। वन भूमि प्रस्ताव की पूर्ति हेतु वन पंचायत से अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में वन पंचायत ... विलेख की दिनांक १४/६/२०१८ को आम बैठक की गयी। बैठक में उपस्थित जनप्रतिनिधि, सरपंच एवं जनता द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया गया कि उपरोक्त मोटर मार्ग निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा जो संरेखण तय किया गया है उसके अनुसार मोटर मार्ग निर्माण करने एवं मार्ग के निर्माण में आने वाली वन पंचायत भूमि को लो०नि०वि० को देने में समर्त ग्रामवासी सहमत हैं। इसके अलावा और कोई बिकल्प भी नहीं है। अतः इसी संरेखण के अनुसार मोटर मार्ग का निर्माण शीघ्र कराने का अनुरोध किया जाय।

प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया गया और इसकी एक प्रति लोक निर्माण विभाग को भेजने हेतु सरपंच महोदय को अधिकृत किया गया है।

स्थान:- ग्राम विलेख

दिनांक:- १४/६/२०१८

सरपंच जिलेख

३० पंचायत विलेख  
ह० सरपंच की मुहर थकलाड जिले बागेश्वर

प्रतिलिपि अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, बागेश्वर को उपरोक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति शीघ्र कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है।

सरपंच जिलेख

३० पंचायत विलेख  
ह० सरपंच की मुहर थकलाड जिले बागेश्वर

वन पंचायत सदस्यों के हस्ताक्षर -

- 1 जोगा०प्पा
- 2 छिंडा०प्पा
- 3 हारिका०राम
- 4
- 5 ददनराम
- 6 रम्प लल
- 7
- 8 दिला०की
- 9 दीपा०देवी